

उत्कृष्टा के निर्देश

उत्तर प्रदेश परिवहन निगम द्वारा उत्कृष्ट चालान/परिचालन योजना संविदा चालकों एवं परिचालकों के लिए प्रारम्भ की गयी है जिसके अन्तर्गत चालकों एवं परिचालकों के द्वारा परिवहन निगम द्वारा निर्धारित शर्तों को पूर्ण करने पर संविदा चालक एवं परिचालक इस योजना में सम्मिलित होने के पात्र होंगे। पात्रता की जाँच डिपो स्तर पर संविदा पेट्रोल सॉफ्टवेयर के माध्यम से की जाएगी जिसके लिए निम्नलिखित बिन्दुओं की पुष्टि होगी—

- 1- **G.O (Government Order)** के अनुसार वही संविदा चालक एवं परिचालक इस योजना के पात्र होंगे जो **अप्रैल-2015** से **मार्च-2016** तक **300 दिन** का कार्यकाल एवं **78,000 कि.मी.** की शर्त को पूर्ण किया हो तथा उसकी **Date of Joining 01/04/2011** तक हो गयी हो।
- 2- उत्कृष्ट चालान/परिचालन योजना की जाँच प्रक्रिया के लिए डिपो स्तर पर संविदा चालक एवं परिचालक की Date of Birth(**जन्मतिथि**) एवं Date of Joining(**कार्यभार ग्रहण की तिथि**) की जाँच संविदा पेट्रोल सॉफ्टवेयर पर Form-2 में अवश्य पूर्ण करें।
- 3- संविदा पेट्रोल सॉफ्टवेयर पर यदि उनकी **जन्मतिथि एवं कार्यभार ग्रहण** की तिथि में कोई त्रुटि है तो त्रुटि की जाँच करके सही सूचना की प्रविष्टि **सॉफ्टवेयर पर अपडेट** करें जिससे सॉफ्टवेयर शर्तों के आधार पर सही कर्मों का चयन कर सके।
- 4- संविदा पेट्रोल सॉफ्टवेयर के एन्ट्री फॉर्म सेक्शन से Form-13 में उपरोक्त प्रक्रिया के आधार पर उत्कृष्ट संविदा चालक एवं परिचालक की सूची सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः तैयार होती है। सूची में चयनित हुये कर्मों को समिति(RM,ARM etc.) के निर्णय के पश्चात ही उत्कृष्टा प्रदान की जाएगी।
- 5- समिति(RM,ARM etc.) के निर्णय के आधार पर चुने गए कर्मियों को सॉफ्टवेयर पर प्रदर्शित सूची में उत्कृष्ट चयन के लिए **Check Box** पर क्लिक करना होगा
- 6- चुने गए कर्मियों में जिन कर्मियों का EPF की कटौती होगी उसके लिए भी उत्कृष्ट चयन के साथ-साथ **EPF** के Check Box पर क्लिक करना होगा जिससे उसके EPF की कटौती शर्त के आधार पर हो सके।
- 7- फार्म पर **Tag Employee** बटन क्लिक करने पर वह कर्मों उत्कृष्टा सूची में प्रवेश कर जाएगा।
- 8- उत्कृष्ट कर्मों के वेतन की गणना निम्नलिखित प्रारूप में की जाएगी—

	Days	K.M (कि.मी.)	Basic	Incentive	Night	EPF
A-	24 या अधिक	6000 या अधिक	10,000	7000	500	1200 (Basic*12%)
B-	22 दिन	6000	10,000	5583	500	1200 (Basic*12%)
						(17000*22/24)
C-	25 दिन	5500	10,000	5583	500	1200 (Basic*12%)
						(17000*5500/6000)

यदि चालक/परिचालक प्रथम दो माह निम्न प्रारूप में कार्य करता है तो उसके वेतन की गणना -

A-	20 दिन	5000	10,000	4166	500	1200 (Basic*12%)
						(17000*20/24)
B-	22 दिन	5000	10,000	4166	500	(1200) Basic*12%
						(17000*5000/6000)

अन्ततः चालक/परिचालक तीसरे माह भी 24 दिन से कम एवं 6000 कि.मी. से कम अर्जित करता है तो उसे पूर्व की भांति वेतन की गणना होगी।